न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सेशन न्यायाधीश) मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आप. विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 68/2026
CIS NO 68/2026
...

1. धनराज पुत्र श्रीलाल, आयु 26 वर्ष, निवासी लुहारिया, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़।
2. रामनिवास पुत्र श्री सीताराम, आयु 40 वर्ष, निवासी जाजड़ों का बास, जारोड़ा कलां, पुलिस थाना मेड़ता रोड़, जिला नागौर।

::विरूद्ध::

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 21/2026, पुलिस थाना मेड़तारोड़, अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन डी पी एस एक्ट

उपस्थित-
1-श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2-श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक,राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 19.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण धनराज एवं रामनिवास की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मेड़तारोड़ पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2026 में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, तथाकथित मादक पदार्थ से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। बताई गई मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्र से कम है। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। इस स्तर पर प्रकरण के सह अभियुक्त बबलू के कब्जे से कुल 160 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद होना बताया गया है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उसे उक्त अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करना बताया गया है जो कि धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अभ्यारोप है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि मौके से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा ना ही मौके से गिरफ्तारी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय तुफान सिंह बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू (2021) 4SCC1 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल मुख्य अभियुक्त के डिसक्लॉजर स्टेटमेंट के आधार पर किसी को अभियुक्त बनाया गया है तो विचारण के दौरान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, यदि कोई अन्य साक्ष्य पत्रावली पर इस संदर्भ में ना हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अनुसंधान शेष नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त धनराज व रामनिवास के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा एक–एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो जैर ट्रायल है, परन्तु उनकी दोषसिद्धी बाबत कोई तथ्य अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त धनराज दिनांक 02.03.2026 से अभिरक्षा में है एवं प्रार्थी/अभियुक्त रामनिवास दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थिति के लिये 01,00,000/– 01,00,000/– रूपये के स्वयं के बंध पत्र एवं

50,000/-,50,000/-रूपये की दो-दो जमानतें इस न्यायालय के समक्ष, न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश)
मेड़ता।

6. आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश)
मेड़ता।